

न्यायालय तहसीलदार/नायब तहसीलदार गडरारोड़ जिला बाउनेर

राजस्व प्रकरण संख्या 30/19 अन्तर्गत राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 91

सायल

गैरसायल

राजस्थान सरकार जरिये

बनाम

श्री... समीर ... कुमार

पटवारी हल्का... गिराठ

जाति... सूफलमान ... निवासी... गिराठ

तहसील गडरारोड़ जिला बाउनेर

निर्णय

पत्रावली आज बनुकान गडरारोड़ में पेश हुई गैरसायल की...
हमने अवलोकन किया संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार हैं कि पटवारी हल्का गिराठ
प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि गैर सायल ने ग्राम जीणे की बस्ती के सायल संख्या 325
... रकबा 48 बीघा में से 48 बीघा किस्म कीर्त्या राजकीय भूमि पर
अनाधिकृत रूप से अतिक्रमण किया है। पटवारी हल्का की रिपोर्ट के अनुसार गैर सायल के विरुद्ध
धारा 91 आर.एल.आर. एक्ट 1956 के तहत मुकदमा दर्ज रजिस्टर कर गैर सायल को जरिये नोटिस को
सुनवाई हेतु तलब किया गया नोटिस तामिल होकर प्राप्त हुआ।

अतः गैर सायल को आर.एल.आर. एक्ट 1956 धारा 91 का उल्लंघन करने पर गैरसायल को
अतिक्रमी घोषित किया जाकर उक्त राजकीय भूमि से वेदखल करने के आदेश पारित किये जाते हैं
साथ ही वार्षिक लगान का 50 गुणा जुर्माना राशि रूपये 50 अक्षर पच्चास रूपये मात्र से
आरोपित किया जाता है। जो गैर सायल से वसूल हो।

निरीक्षक भू अभिलेख गिराठ को आदेशित किया जाता है कि वह मौके पर गैर सायल
को तत्काल कब्जा बहक सरकार प्राप्त फसल निलामी फर्द वास्ते अनुमोदनायक आम् सूचना के तहत
याम में पेश करे। पटवारी हल्का को आदेशित किया जाता है कि वह गैरसायल को भौतिक रूप से
वेदखल कर भूमि का कब्जा बहक सरकार प्राप्त कर पूर्ण पालना आवश्यक साथ से एक राह में पेश
करे। पत्रावली टी.आर.ए. को मांग कायमी हेतु भेजी जावे।

निर्णय दिनांक 15/10/19 को सरेआम सुनाया गया।

गिराठ
तहसीलदार गडरारोड़

जुमाना 5% फसल नि. 1100/-
कुल योग 415% जि.के पृष्ठ सं. 34
सं. 247-2a में इन्द्राज किया गया।

गिराठ
तहसील राजस्व लेखाकार